न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 1166

दिनांक – 31/03/23

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कूम्पसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 आसुसिंह 2 कानसिंह पिसरान निम्बसिंह 3 खेराजसिंह 4 छोगसिंह पिसरान सगतसिंह 5 पीरसिंह पुत्र निम्बसिंह 6 भाना पुत्र रणजीतसिंह 7 मिश्रीसिंह पुत्र सगतसिंह 8 लोगोदेवी पत्नी निम्बसिंह 9 सुजीदेवी पतनी सगतसिंह 10 गेमरसिंह 11 नैनूसिंह 12 नरसिंह 13 भाखरसिंह पिसरान उतमसिंह 14 समदादेवी पत्नी उतमसिंह 15 गोमी पत्नी राणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर 16 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 82/2023 दिनांक– 29/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 4.8319 हैक्टयर व खसरा संख्या 115 रकबा 3.9012 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 31/03/23

क्रमांक :– रीडर/2023/ 1167-70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कूम्पसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी आसूसिंह पुत्र निम्बसिंह वगैरह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर